



चलो चलाएँ
शिक्षा गुणवत्ता अभियान
और बढ़ाएँ
हक अपनी सम्मान



गोडन:- कुतुब

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)
मार् केवलिसन विद्या भवन, कुलासा नगर
जिलाई, जिला-दुर्ग

विद्यालय मायता प्रमाण-पत्र

दिनांक - 05/10/2021 से 04/10/2024



फोन नं. 0788-221242

प्राहप - दो

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 21/05/2021

क्रमांक / 1169 / माबता/2021

प्रति, प्रबंधक, ज्येष्ठ शिक्षा प्रबंधक, उच्च शिक्षा विभाग

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रावधान के लिए, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-विषय (4) के अधीन विद्यालय के लिए माबता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 26/07/2021 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ परस्वातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं मा.ट.बो.नि.म.स. शिक्षा प्रभाग, जिला शिक्षा प्रभाग, दुर्ग, छ.ग. के अधीन विद्यालय का नाम यथा (अंकित) को तारीख 05/10/2021 से 04/10/2021 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा निर्धारण से 08वें तक माध्यम ... 2-1-11 के लिए अनंतिम माबता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. माबता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के परस्वात माबता/संबद्ध करने के लिए कोई बाधकता विद्यमान नहीं है।
2. विद्यालय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति तसरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 2.5% प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुबिधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. वेरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रयुक्त बैंक खाता खोलेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी के विदेशन युक्त का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्वीकृत प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सख्त व होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
एक प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
दो किसी भी बच्चे को शारीरिक दृष्ट या मानसिक उर्सादन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
तीन प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
चार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकृत किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
पांच अधिनियम के उपबंधों 'च' के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

छ: अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकृत व्युत्पन्न अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर व्युत्पन्न अर्हताएं नहीं हैं, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी व्युत्पन्न योग्यताएं अर्जित करेंगे।

सात अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
आठ अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और अध्यापक अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

7. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल : 10.11.7.1. एम.मिटर
कुल निर्मित का क्षेत्रफल : 5.5.3.3.5. एम.मिटर
खेत के मैदान का क्षेत्रफल : 5.7.1.6. एम.मिटर
कक्षाओं की संख्या : 58. कक्षाएं 60. एम.मिटर
60
प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष : 10. नं. 10
बालकों और बालिकाओं के लिए पुस्तक गोदाल : 5. नं. 10
पेयजल सुविधा : 5. नं. 10
सम्यक् भोजन पकाने हेतु रसोई : 5. नं. 10
बाधारहित पहुंच : 5. नं. 10

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूत के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता :
विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई नगर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रेशन किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वयस्कितक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा समरीखा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, विषयों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आर्बिटल मान्यता कोड संख्यांक 102/2007 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग

MAAP Awareness Program, GATEWAY